



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 20 मई, 2026

बैशाख 30, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1262/81-2-2026-29(03)-2026

लखनऊ, 20 मई, 2026

अधिसूचना

प0आ10-276

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और चूँकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6
महोबा	महोबा	खन्ना	503/2	1.639	उत्तर- गाटा संख्या 505 (नाला), 506, 507, 495, 493, 494, गाटा संख्या 504 से सटा हुआ पूरब- गाटा संख्या 495, 493, 494, 496, 505 (नाला), 506, 507, 500, 518 (नाला) दक्षिण- गाटा संख्या 500, 496, 498, 502, 518 (नाला), 507, गाटा संख्या 503 का शेष भाग पश्चिम- गाटा संख्या 505 (नाला), 506, 507, 509, 508, 518 (नाला), 500, 503 का शेष भाग

1	2	3	4	5	6
			480 मि०	0.8478	उत्तर— गाटा संख्या 489, 488, 490, 480 का शेष भाग, गाटा संख्या 482 से सटा हुआ, गाटा संख्या 479 से सटा हुआ पूरब— गाटा संख्या 774, गाटा संख्या 479 से सटा हुआ दक्षिण— गाटा संख्या 493, 492, 774, 489 पश्चिम— गाटा संख्या 489, 490, 491, 492
			2 किता	2.4868	

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1262/LXXXI-2-2026-29(03)-2026 dated May 20, 2026 :

No. 1262/LXXXI-2-2026-29(03)-2026

Dated Lucknow, May 20, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6
Mahoba	Mahoba	Khanna	503/2	1.639	North- Gata No. 505 (Nala), 506, 507, 495, 493, 494, on touch with Gata No. 504 East- Gata No. 495, 493, 494, 496, 505 (Nala), 506, 507, 500, 518 (Nala) South- Gata No. 500, 496, 498, 502, 518 (Nala) 507, Remaining Part of Gata No. 503 West- Gata No. 505 (Nala), 506, 507, 509, 508, 518 (Nala), 500 and Remaining Part of Gata No. 503
			480 Min.	0.8478	North- 489, 488, 490 and Remaining Part of Gata No. 480, on touch with Gata No. 482, on touch with Gata No. 479 East- Gata No. 774, on touch with Gata No. 479 South- Gata No. 493, 492, 774, 489 West- Gata No. 489, 490, 491 and 492
			2 Kita	2.4868	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.